<u>न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (उत्तर रेलवे) वाराणसी।</u>

उपस्थित-श्री अभिनव जैन (उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा) जे.ओ कोड- यू.पी 2212

राज्य बनाम आशीष गुप्ता

मुकदमा संख्या–3366 / 2024

मु०अ०सं०–362/2023
अन्तर्गत धारा–160(2) रेलवे एक्ट।
आर.पी.एफ. पोस्ट जौनपुर।

<u>निर्णय</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्त **आशीष गुप्ता** पुत्र नन्दलाल गुप्ता द्वारा जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर मुकदमा समाप्त करने की याचना की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि मु०अ०सं० 362/2023, आर. पी.एफ. पोस्ट जौनपुर के मामले में जांच/विवेचना उपरान्त सम्बन्धित जांच अधिकारी द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध शिकायत पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 16.08.2024 को संज्ञान लिया गया। अभियुक्त आज न्यायालय के समक्ष उपस्थित है और उसके द्वारा स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार करने का कथन किया गया है। जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध में अभियुक्त को समझाया गया कि यदि वह संस्वीकृति करता है तो उसे दोषसिद्ध किया जा सकता है। बाबजूद इसके अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकारोक्ति की गयी। जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त आशीष गुप्ता को मु०अ०सं०-362/2023 अन्तर्गत धारा 160(2) रेलवे एक्ट, आर.पी.एफ. पोस्ट जौनपुर के मामले में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है। अभियुक्त के जमानतदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पुनः लंच बाद पेश हो।

दिनांक- 12-03-2026

(अभिनव जैन)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
(उत्तर रेलवे) वाराणसी।
JO. Code UP2212

<u>लंच बाद</u>

अभियुक्त को दण्ड के प्रश्न पर सुना। अभियुक्त द्वारा कहा गया है कि वह गरीब परिवार से सम्बन्ध रखता है और आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है प्रार्थी के अलावा परिवार में कोई नहीं है। उसे जेल न भेजा जाए। उससे गलती हो गयी है। उसने जानबूझकर कोई अपराध कारित नहीं किया है। वह रेलवे को हुए आर्थिक नुकसान की क्षतिपूर्ति करने को तैयार है। अभियोजन की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा दिनांक 31.12.2023 को अपने वाहन सं0 DL02CG9461 को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए सड़क यातायात के लिए बन्द किये जा रहे रेलवे गेट सं0–38A को टक्कर मारा जिससे उक्त रेलवे गेट का उत्तरी बूम क्षतिग्रस्त हो गया।

Digitally signed by ABHINAV JAIN
Date: 2026.06.23 09:19:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अभियुक्त द्वारा कहा गया है कि वह गरीब परिवार से सम्बन्ध रखता है और आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है प्रार्थी के अलावा परिवार में कोई नहीं है। उसने जानबूझकर उक्त रेलवे गेट को क्षतिग्रस्त नहीं किया है। उससे गलती हो गयी है। उसे क्षमा किया जाए। उसे कारावास की सजा न दी जाए। वह रेलवे को हुए आर्थिक नुकसान की क्षतिपूर्ति करने को तैयार है।

प्रस्तुत मामले में सड़क यातायात के लिए बंद किये जा रहे रेलवे गेट के क्षतिग्रस्त होने के कारण निःसंदेह अन्य कोई दुर्घटना कारित हो सकती थी परन्तु ऐसी कोई दुर्घटना होने का उल्लेख अभियोजन प्रपत्रों में नहीं है। उक्त आपराध के कारण रेलवे को आर्थिक क्षति अवश्य कारित हुयी है। अभियोजन/क्षति प्रमाण पत्र के अनुसार अभियुक्त के उक्त आपराधिक कृत्य के कारण रेलवे को मु0 4,300/— रूपये की क्षति कारित हुयी है। अभियोजन द्वारा अभियुक्त की अन्य कोई दोषसिद्धी साबित नहीं की गयी है एवं उसके विरूद्ध इसी प्रकार का अन्य कोई मामला पंजीकृत होने का भी उल्लेख नहीं किया है।

अतः प्रस्तुत मामले के तथ्य व परिस्थितियो के आलोक में अभियुक्त की प्रार्थना पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए न्यायालय के मत में निम्न आदेश से न्याय के उद्देश्य की पूर्ति होगी।

आदेश

दोषसिद्ध अभियुक्त **आशीष गुप्ता** पुत्र नन्दलाल गुप्ता को उसके द्वारा कारित अपराध मुकदमा संख्या—3366/2024, मु०अ०सं०-362/2023 अन्तर्गत धारा 160(2) रेलवे एक्ट, आर.पी.एफ. पोस्ट जौनपुर के मामले में न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया जाता है।

धारा 395(3) बी0एन0एस0एस0 {धारा 357(3) दं0प्र0सं0} के अंतर्गत अभियुक्त रेलवे को **मु0 4,300/—** (चार हजार तीन सौ रूपये) बतौर क्षतिपूर्ति अदा करेगा। उक्त प्रतिकर की धनराशि अदा न करने पर रेलवे सक्षम प्राधिकारी के समक्ष वसूली हेतु आवेदन करने का अधिकारी होगा।

अभियुक्त धारा 481 BNSS/437क दण्ड प्रक्रिया संहिता का अनुपालन अन्दर सप्ताह करना सुनिश्चित करे।

दिनांक-12-03-2026

(अभिनव जैन)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
(उत्तर रेलवे) वाराणसी।
JO. Code UP2212